तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्य

बनाम

सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और

(2 मई, 1986)

(मुख्य न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती, न्यायमूर्ति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, आर० बी० मिश्र, वी० खालिद और जी० एल० ओझा)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961—धारा 14(1)—उक्त धारा के अधीन जारी अधिसूचना की विधिमान्यता—राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके चीनी कारखानों को छूट दी जानी—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल स्थित केवल अठारह चीनी कारखानों को छूट दी जानी, जबकि पूर्वांचल स्थिति समस्त चीनी कारखानों द्वारा इस प्रकार की छूट दिए जाने का दावा किया जाना—यह सत्य है कि उक्त धारा के अधीन छूट देने की शक्ति का प्रयोग गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित और विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किया जाता है किंतु इस शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य सरकार विधिसम्मत रूप में इस बात को ध्यान में रख सकती है कि इस प्रयोजनार्थ चीनी के केवल उन्हीं कारखानों को छूट दिए जाने की आवश्यकता है जो ऐसा गन्ना क्रय कर रहे हैं जिससे कम चीनी प्राप्त होती है, अतः ऐसा करके राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14 का न तो किसी भी रूप में अतिक्रमण किया और न ही कोई गलती की।

संविधान, 1950 —अनुच्छेद 14 —विभेद—राज्य सरकार द्वारा एक ही क्षेत्र के चीनी के कतिपय कारखानों को छूट दी जानी—विभेद बरते जाने का अभिकथन—उक्त अनुच्छेद वर्ग विधायन का तो निषेध करता है, किंतु उसकी अपेक्षा के पूरा किए जाने पर युक्तियुक्त वर्गीकरण अनुज्ञात करता है।

प्रस्तुत अपील की अपीलार्थी-याची एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके स्वामित्वाधीन देवरिया में चीनी का एक कारखाना है जिसे श्री

सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड, बेलतापुर, उत्तर प्रदेश कहा जाता है। चीनी के इस कारखाने में वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी का विनिर्माण किया जाता है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके उत्तर प्रदेश राज्य स्थित चीनी के कारखानों के लिए गन्ने की कीमत नियत कर दी। इस अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के लिए नियत की गई न्यूनतम कीमत जिसमें याची का कारखाना स्थित था, 8.38 रुपए प्रति क्विन्टल थी। गन्ना उत्पादक भड़क गए क्योंकि, उनके अनुसार, नियत की गई कीमत अत्यधिक कम थी। अतः, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अभ्यावेदन किया और इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया तथा पूर्वांचल स्थित चीनी मिलों के लिए गन्ने की कीमत 12.25 रुपए प्रति क्विन्टल नियत कर दी। तथापि, याची के अनुसार नियत की गई कीमत अत्यधिक थी और चूंकि याची और चीनी के अन्य कारखानों को भारी हानि उठाने की संभावना थी, चीनी-कारखानों ने उत्तर प्रदेश राज्य के समक्ष समावेदन किया और उसके ध्यान में यह बात ले आए कि वे गन्ने की बहुत ऊंची कीमत का संदाय करने की स्थिति में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन अधिसूचना जारी करके पूर्वांचल स्थित चीनी के अठारह कारखानों को छूट दे दी। उसी तारीख को, एक अन्य अधिसूचना द्वारा, दो और कारखानों को छूट दे दी गई। चूंकि अपीलार्थी-याची को छूट न देकर वैसे ही स्थित अन्य कारखानों को छूट दे दी गई थी, इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई पूर्वोक्त अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए याचिकाएं फाइल कीं। उत्तर प्रदेश राज्य ने इन याचिकाओं का विरोध किया और विभेद करने के अभिकथन से इंकार किया। उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर याची-चीनी कारखानों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—अधिनियम 1961, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) की धारा 14 की उपधारा (1) के तीनों खण्डों के भिन्न उद्देश्य और प्रयोजन हैं। खण्ड (क) के अधीन छूट देने का प्रयोजन गन्ने की पूर्ति को "प्रोत्साहित और विनियमित करना" है, खण्ड (ख) का उद्देश्य नए कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देना है और यह कि खण्ड (ग) का उद्देश्य 1957-58 के पिराई वर्ष के पश्चात् स्थापित कारखानों को सहायता देना और ऐसे गन्ने की खरीद करना था जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। धारा 14(1) राज्य

सरकार को वैवेकिक शक्ति प्रदत्त करती है। धारा 14 का समग्र रूप में वाचन करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सभी कारखानों को छूट या माफी देने के लिए बाध्य थी। यह विनिश्चित करने का विवेकाधिकार राज्य सरकार का है कि सुसंगत खण्ड में दिए गए प्रयोजनों को देखते हुए किसी विशिष्ट कारखाने को छूट दी जानी चाहिए और किसे नहीं। न तो इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) में और न ही किसी अन्य खण्ड में यह उपदर्शित करने के लिए कुछ है कि राज्य सरकार को गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित करने या इसे विनियमित करने के लिए सभी चीनी कारखानों को छूट अवश्य ही देनी होगी। (पैरा 9)

यह सही है कि खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित करने अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किया जाना चाहिए किन्तु इस शक्ति का प्रयोग करते समय, राज्य सरकार विधिसम्मत रूप में यह मत व्यक्त कर सकती है कि इस प्रयोजन से केवल उन्हीं चीनी-कारखानों को छूट देना आवश्यक हो गया है जो ऐसा गन्ना खरीद रहे हैं जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। कम चीनी देने वाले गन्ने की खरीद करने वाले चीनी के कारखानों को ही केवल छूट देकर, राज्य सरकार ने हमारी राय में संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं किया है और न ही इससे धारा 14 के खंड (क) के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन होता है। राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था और यह कि उसने चीनी के कुछ ही कारखानों को छूट देकर पूर्वोक्त उपबंध के प्रयोजन को विफल नहीं कर दिया। "प्रोत्साहित या विनियमित करना" अभिव्यक्ति के प्रयोग से यह बात स्पष्ट रूप में उपदर्शित होती है कि उन कारखानों को, जिन्हें वास्तव में प्रोत्साहन या विनियमन की आवश्यकता है, धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट का फायदा मिलना चाहिए। "प्रोत्साहित करना" शब्द से यह बात समझ में आती है कि राज्य सरकार से इस शक्ति का प्रयोग किया जाना तब अपेक्षित होता है यदि वह यह महसूस करे कि चीनी के कारखाने को गन्ना खरीदने के प्रयोजनार्थ सहायता की आवश्यकता है। इसी प्रकार, "विनियमित करना" शब्द से यह प्रकट होता है कि उक्त शक्ति का प्रयोग गन्ने के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने की दृष्टि से किया जा सकता है। यदि धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग चीनी के केवल उन्हीं कारखानों को छूट देने के प्रयोजनार्थ किया जाता है जो ऐसा गन्ना

खरीदती हैं जिससे कम चीनी प्राप्त होती है, तो ऐसा करने में कुछ गलत नहीं था। (पैरा 10)

खण्ड (ख) में नए कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने का उपबंध है और खण्ड (ग) में 1957-58 वाले पिराई वर्ष के पश्चात् स्थापित किए गए कारखानों को सहायता देना और ऐसे गन्ने की खरीद करना अनुध्यात है जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। यदि राज्य सरकार ने इन कारखानों को छूट देने की बात इस कारण मान ली थी कि वे खण्ड (ग) के अंतर्गत आते हैं, तो इस आधार पर अधिसूचना की विधिमान्यता के विरुद्ध कुछ तर्क दिया जा सकता था। खण्ड (ग) के अधीन, नए स्थापित किए गए कारखानों की लागत को कम करने के लिए सहारा या सहायता के तौर पर इस कारण छूट प्रदान की जाती है ताकि वे बाजार में लाभ कमाते हुए प्रतियोगिता में खड़े हो सकें। खण्ड (ग) के अधीन छूट केवल ऐसे नए कारखानों को ही दी जा सकती है जो चीनी के कारखानों का एक भिन्न प्रवर्ग है। खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है वे खण्ड (क) या (ख) के अधीन दी गई बातों से भिन्न हैं। इस दृष्टि से विचार करते हुए बिल्कुल भी विभेद नहीं दिखाई देता है। (पैरा 11)

संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन का तो निषेध करता है, किंतु युक्तियुक्त वर्गीकरण अनुज्ञात करता है। तथापि, इसे इन दोनों अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए : (1) यह कि उसे ऐसे सुबोधगम्य अन्तर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, जिन्हें एक समूह में रख दिया गया है, उस समूह से छोड़ दिए गए व्यक्तियों या अन्य वस्तुओं से प्रभेद करता है, और (2) यह कि सुबोधगम्य अन्तर का संबंध कानून द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य से होना चाहिए। (पैरा 12)

वह सीधा कारक, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, गन्ने से चीनी की प्राप्ति है और गन्ने में चीनी की मात्रा ही गन्ने की लागत बहुत हद तक अवधारित करती है। इस प्रकार से चीनी के उन कारखानों का, जो ऐसा गन्ना क्रय कर रहे थे जिससे कम चीनी प्राप्त होती है, उन कारखानों से जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, भिन्न एक वर्ग में अलग से प्रभेद किया जा सकता है, और इस प्रकार यह उस वर्ग से छूटे हुए अन्य कारखानों को वर्गीकृत करने का युक्तियुक्त आधार था। (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1975] [1975] 2 उम० नि० प० 951=[1975] 3 एस० सी० आर० 220 : अनन्त मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य. 12

सिविल अपीली अधिकारिता : 1980 की सिविल अपील संख्या 1774.

1975 की सिविल प्रकीर्ण रिट संख्या 495 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 28 जुलाई, 1978 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से — सर्वश्री बी० आर० एल० आयंगर, योगेश्वर प्रसाद, एस० पी० गुप्त, वी० पी० सचदे, के० के० वेणुगोपाल, ओ० पी० राणा, (डॉ०) वाई० एस० चितले, के० जी० भगत, एफ० एस० नारीमन और सोली जे० सोराबजी तथा उनके साथ सर्वश्री एच० के० पुरी, जी० गोपालकृष्णन, रवेतान और कंपनी, ए० सुब्बा राव, नवनीत लाल, के० एम० के० नायर, जे० बी० डी० एण्ड कंपनी, पी० आर० रमेश, बिशंभर लाल, जी० सुब्रह्मण्यम, कुमारी एस० दीक्षित, कुमारी ए० सुभाषिणी, सर्वश्री के० आर० नाम्बियार, आर० एन० पोद्दार, बी० एम० नगारिया, श्रीमती रानी छाबड़ा, सर्वश्री आर० बी० दातार, पी० एच० पारेख, के० आर० नगारिया, बी० डी० शर्मा, वी० जे० फ्रान्सिस, एस० मार्कण्डेय, आर० एन० सचदे, आर० रामचन्द्रन, एस० एस० खण्डूजा, मनोज स्वरूप एण्ड कम्पनी.

1986(5) eILR(PAT) SC 1

पी० के० पिल्लै, बगड़, के० एल० मेहता, स्वरूप जान एण्ड कंपनी, जी० एस० रामाराव, एच० के० पुरी, सी० बी० सुब्बा राव, एस० के० गुप्त, जी० एस० चटर्जी, प्रवीर मित्र, श्रीमती जे० वाड, सर्वश्री एस० के० गम्भीर, प्रमोद दयाल, आर० के० जैन, एस० आर० श्रीवास्तव, के० के० मोहन, धनतराज, डी० के० अग्रवाल, राजू रामचन्द्रन, रवीन्द्र राणा, विनोद भगत, के० के० जन, ए० डी० सागर, गिरीश चन्द्र, सी० के० सुचरित, टी० सी० शर्मा, श्रीमती किट्टा कुमारमंगलम्, ए० वी० रंगम, आर० वी० रत्नम् और डी० एम० पोपट

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्र ने दिया।

न्यायमूर्ति मिश्र—

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 28 जुलाई, 1978 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई इन प्रस्तुत अपीलों में विधि का समान प्रश्न उठाया गया है। ये अपीलें संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई उन रिट याचिकाओं के परिणामस्वरूप उद्भूत हुई हैं जो उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के अधीन तारीख 25 जनवरी, 1975 को जारी की गई दोनों अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। याचियों ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थित चीनी के सभी कारखानों को क्रय-कर में 0.51 पैसा प्रति क्विन्टल के हिसाब से छूट देने का निदेश देते हुए परमादेश जारी किए जाने की ईप्सा भी की। चूंकि इन सभी मामलों के तथ्य एक जैसे ही हैं, इसलिए हम इन अपीलों में विचारार्थ प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए मैसर्स श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड, बेलतापुर, जनपद देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के विरुद्ध फाइल की गई 1975 की रिट याचिका संख्या 409 के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाली सिविल अपील के तथ्यों के प्रति निर्देश करेंगे।

1986(5) eILR(PAT) SC 1

2. याची एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके स्वामित्वाधीन देवरिया में चीनी का एक कारखाना है जिसे श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड, बेलतापुर, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चीनी के इस कारखाने में वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी का विनिर्माण किया जाता है। वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन आबंटित किए गए आरक्षित क्षेत्र से गन्ना खरीदता है।

3. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अधीन तारीख 29 सितम्बर, 1973 वाली अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थित चीनी के कारखानों के लिए, गन्ने की कीमत नियत कर दी। इस अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें याची का कारखाना स्थित था, नियत की गई न्यूनतम कीमत 8.38 रु० प्रति क्विन्टल थी। गन्ना उत्पादक भड़क गए, क्योंकि उनके अनुसार, नियत की गई कीमत अत्यधिक कम थी। अतः, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अभ्यावेदन किया और इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया तथा पूर्वांचल स्थित चीनी मिलों के लिए गन्ने की कीमत 12.25 रुपए प्रति क्विन्टल नियत कर दी। तथापि, याची के अनुसार नियत की गई कीमत अत्यधिक थी और चूंकि याची और अन्य चीनी-कारखानों को भारी हानि उठाने की सम्भावना थी, इसलिए चीनी-कारखानों ने उत्तर प्रदेश राज्य के समक्ष समावेदन किया और उसके ध्यान में यह बात ले आए कि वे गन्ने की बहुत ऊंची कीमत का संदाय करने की स्थिति में नहीं हैं। अपीलार्थी याची और अन्य लोगों का पक्षकथन यह है कि मुख्यमंत्री का चीनी-कारखानों द्वारा की गई मांगों के प्रति समाधान हो गया था और उन्होंने उन्हें (चीनी-कारखानों को) इस बात का आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार पूर्वांचल स्थित सभी कारखानों को क्रय-कर से छूट दे देगी। इस अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार ने उल्लिखित क्षेत्र के 18 चीनी-कारखानों को 0.51 पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से छूट दे दी। उसी तारीख की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, दो और कारखानों को छूट दे दी गई। चूंकि अपीलार्थी-याची को छूट न दे करके वैसे ही स्थित अन्य कारखानों को छूट दे दी गई थी, इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई पूर्वोक्त अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए याचिकाएं फाइल कीं।

1986(5) eILR(PAT) SC 1

4. उत्तर प्रदेश राज्य ने इन याचिकाओं का विरोध किया और रिट याचिका में उल्लिखित वचन-विबंध और विभेद के अभिकथन से इंकार किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा ये दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। अब उन्होंने विशेष इजाज़त लेकर इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया है और इस न्यायालय के समक्ष भी वही दलील दी है जो उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष दी थी।

5. इस मामले में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों को समझने के लिए, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का इस प्रक्रम में उल्लेख करना उचित रहेगा। इस अधिनियम की धारा 3 में यह अधिकथित है कि (क) किसी कारखाने के स्वामी द्वारा पच्चीस पैसा प्रति मन गन्ना के हिसाब से; और (ख) किसी यूनिट द्वारा पचास पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से गन्ने के क्रय पर कर उद्गृहीत किया जाएगा। धारा 3-क (1) में यह उपबंधित है कि किसी कारखाने का कोई भी स्वामी कारखाने में उत्पादित किसी भी प्रकार की चीनी को उपभोग अथवा विक्रय, अथवा कारखाने में या कारखाने से बाहर किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए, उस समय तक न तो हटायेगा, अथवा हटवाएगा, जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर, उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि का संदाय न कर दिया हो। अगली सुसंगत धारा जिससे हमारा सीधा संबंध है, धारा 14 है। यह धारा राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। चूंकि इन अपीलों का विनिश्चय धारा 14(1) के निर्वचन पर आधारित है, इस पूरी धारा का वाचन बेहतर रहेगा। धारा 14(1) इस प्रकार है—

*"धारा 14(1) राज्य सरकार, इस बात का समाधान होने पर कि—

(क) गन्ने की पूर्ति, या कारखानों द्वारा इसकी खरीद को प्रोत्साहित या विनियमित करने की; अथवा

(ख) नए कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने की; अथवा

(ग) 1957-58 के पिराई वर्ष के पश्चात् स्थापित कारखानों को सहायता प्रदान करने की और ऐसा गन्ना खरीदने

> की जिससे कम चीनी प्राप्त होती हो, दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन आने वाले ऐसे प्रत्येक कारखाने द्वारा किसी निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर से, पूर्णतः या भागत:, छूट दे सकेगी।"

6. प्रस्तुत मामले में, राज्य सरकार ने क्रय-कर से छूट देने वाली अधिसूचना इस बात का समाधान होने पर जारी की थी कि 1973-74 के निर्धारण वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के कारखानों द्वारा गन्ने की पूर्ति या उसकी खरीद को प्रोत्साहित और विनियमित करने की दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है।

7. डॉ० चितले ने, अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होते हुए, अपनी स्पष्टवादिता और निष्पक्षतापूर्वक वचन-विबंध का अभिवाक् किया और यह तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अपीलार्थियों को तो नहीं, अपितु कुछ कारखानों को छूट देकर विभेद किया था। उनके अनुसार इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) द्वारा यथा-अनुध्यात प्रोत्साहन और विनियमन आवश्यकत: पूर्वांचल स्थित सभी कारखानों को प्रदान किया जाना चाहिए था, न कि कतिपय सौभाग्यशाली कारखानों को ही। किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अपीलार्थी को छूट देने की बात अवैध रूप से नामंजूर कर दी, जबकि इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) में सभी कारखानों को यह फायदा दिया जाना अनुध्यात है और केवल अपीलार्थियों के साथ ही इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार किए जाने का कोई न्यायौचित्य नहीं था।

8. काउन्सेल ने दलील दी है कि इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति उन कारखानों तक ही सीमित नहीं थी जो कम चीनी देने वाला गन्ना खरीद रहे थे, चूंकि इस प्रकार की बात इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) द्वारा अनुध्यात प्रयोजन से असंबद्ध की बात थी।

9. इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के तीनों खण्डों के भिन्न उद्देश्य और प्रयोजन हैं। खण्ड (क) के अधीन छूट देने का प्रयोजन गन्ने की पूर्ति को "प्रोत्साहित और विनियमित" करना है, खण्ड (ख) का

उद्देश्य नए कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देना है और यह कि खण्ड (ग) का उद्देश्य 1957-58 के पिराई वर्ष के पश्चात् स्थापित कारखानों को सहायता देना और ऐसे गन्ने की खरीद करना था जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। धारा 14(1) राज्य सरकार को वैवेकिक शक्ति प्रदत्त करती है। धारा 14 का समग्र रूप में वाचन करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सभी कारखानों को छूट या माफी देने के लिए बाध्य थी। यह विनिश्चित करने का विवेकाधिकार राज्य सरकार का है कि सुसंगत खण्ड में दिए गए प्रयोजनों को देखते हुए किस विशिष्ट कारखाने को छूट दी जानी चाहिए और किसे नहीं। न तो इस अधिनियम की धारा 14(1) के खण्ड (क) में और न ही किसी अन्य खण्ड में यह उपदर्शित करने के लिए कुछ है कि राज्य सरकार को गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित करने या उसे विनियमित करने के लिए सभी चीनी कारखानों को छूट अवश्य ही देनी होगी।

10. कारण स्पष्ट है। यह हो सकता है कि एक क्षेत्र में स्थित अथवा किसी एक प्रवर्ग में आने वाले कारखाने को तो इस छूट की आवश्यकता हो, जबकि उन्हें जो उस क्षेत्र में स्थित नहीं हैं अथवा उस प्रवर्ग में नहीं आते, इसकी आवश्यकता ही न हो। यह सही है कि खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित करने अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किया जाना चाहिए, किंतु इस शक्ति का प्रयोग करते समय, राज्य सरकार विधिसम्मत रूप में यह मत व्यक्त कर सकती है कि इस प्रयोजन से केवल उन्हीं चीनी-कारखानों को छूट देना आवश्यक हो गया है जो ऐसा गन्ना खरीद रहे हैं जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। कम चीनी देने वाले गन्ने की खरीद करने वाले चीनी के कारखानों को ही केवल छूट देकर राज्य सरकार ने, हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं किया है। न ही इससे धारा 14 के खण्ड (क) के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन होता है। उल्लंघन का प्रश्न तो तब उठेगा, यदि छूट धारा 14 के उपबंधों से असम्बद्ध किसी आधार पर दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं से यह स्पष्टतः पता चलता है कि केवल चीनी के इन्हीं कारखानों को गन्ने की पूर्ति को प्रोत्साहित और विनियमित करने के मुख्य उद्देश्य से छूट दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था और यह कि उसने चीनी के कुछ ही कारखानों को छूट देकर पूर्वोक्त उपबंध

के प्रयोजन को विफल नहीं कर दिया। "प्रोत्साहित या विनियमित करना" अभिव्यक्ति के प्रयोग से यह बात स्पष्ट रूप में उपदर्शित होती है कि उन कारखानों को जिन्हें वास्तव में प्रोत्साहन या विनियमन की आवश्यकता है, धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट का फायदा मिलना चाहिए। "प्रोत्साहित करना" शब्द से यह बात समझ में आती है कि राज्य सरकार से इस शक्ति का प्रयोग किया जाना तब अपेक्षित होता है, यदि वह यह महसूस करे कि चीनी के कारखाने को गन्ना खरीदने के प्रयोजनार्थ सहायता की आवश्यकता है। इसी प्रकार, "विनियमित करना" शब्द से यह प्रकट होता है कि उक्त शक्ति का प्रयोग गन्ने के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने की दृष्टि से किया जा सकता है। यदि धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग चीनी के केवल उन्हीं कारखानों को छूट देने के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जो ऐसा गन्ना खरीदती हैं जिससे कम चीनी प्राप्त होती है, तो ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं था।

11. डॉ० चितले ने आगे यह दलील दी कि उन्हीं कारखानों को, जिनसे 8.5 या इससे कम मात्रा में चीनी प्राप्त होती है, छूट दी गई थी। कुछ अपीलार्थीगण भी वैसी ही स्थिति में थे और उन्हें अन्यायोचित रूप में मना कर दिया गया था और राज्य सरकार ने एक ही समूह में आने वाले कारखानों के बीच विभेद किया था और इस कारण भी इस प्रकार तारीख 25 जनवरी, 1975 को ज़ारी की गई अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दोष था। इस तर्क में इस धारा के अन्य खंडों, अर्थात् धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की उपेक्षा की गई है। खण्ड (ख) में नए कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने का उपबन्ध है और खण्ड (ग) में 1957-58 वाले पिराई वर्ष के पश्चात् स्थापित किए गए कारखानों को सहायता देना और ऐसे गन्ने की खरीद करना अनुध्यात है जिससे कम चीनी प्राप्त होती है। यदि राज्य सरकार ने इन कारखानों को छूट देने की बात इस कारण मान ली थी कि वे खण्ड (ग) के अन्तर्गत आते हैं तो इस आधार पर अधिसूचना की विधिमान्यता के विरुद्ध कुछ तर्क दिया जा सकता था। खण्ड (ग) के अधीन नए स्थापित किए गए कारखानों की लागत को कम करने के लिए सहारा या सहायता के तौर पर इस कारण छूट दी जाती है, ताकि वे बाजार में लाभ कमाते हुए प्रतियोगिता में खड़े हो सकें। खण्ड (ग) के अधीन छूट केवल ऐसे नए कारखानों को ही दी जा सकती है जो चीनी के कारखानों का एक भिन्न प्रवर्ग हैं। खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग

1986(5) eILR(PAT) SC 1

करने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, वे खण्ड (क) या (ख) के अधीन दी गई बातों से भिन्न हैं। इस दृष्टि से विचार करते हुए बिल्कुल भी विभेद नहीं दिखाई देता है।

12. संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग-विधायन का तो निषेध करता है, किन्तु युक्तियुक्त वर्गीकरण अनुज्ञात करता है। तथापि इसे इन दोनों अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए : (1) यह कि उसे ऐसे सुबोधगम्य अन्तर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, जिन्हें एक समूह में रख दिया गया है, उस समूह से छोड़ दिए गए व्यक्तियों या अन्य वस्तुओं से प्रभेद करता है; और (2) यह कि सुबोधगम्य अन्तर का संबंध कानून द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य से होना चाहिए। यदि नज़ीर की आवश्यकता है, तो हम **अनन्त मिल्स कम्पनी लिमिटेड** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य वाले मामले**[1] के प्रति निदेश कर सकते हैं।

13. छूट केवल उन्हीं कारखानों को दी गई थी जहां गन्ने से कम चीनी प्राप्त होती थी ताकि वे गन्ने की लागत की बाबत समय पर संदाय करने में सक्षम हो सकें तथा लागत का संदाय न करने से कारखानों में गन्ने की पूर्ति किसी भी रूप में प्रभावित न हो सके। इन परिस्थितियों में ही सरकार ने उन कारखानों को छूट दी जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी।

14. वह सीधा कारक, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, गन्ने से चीनी की प्राप्ति है और गन्ने में चीनी की मात्रा ही गन्ने की लागत बहुत हद तक अवधारित करती है। इस प्रकार चीनी के उन कारखानों का जो ऐसा गन्ना क्रय कर रहे थे जिससे कम चीनी प्राप्त होती है, उन कारखानों से, जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, भिन्न वर्ग में अलग से प्रभेद किया जा सकता है और इस प्रकार यह उस वर्ग से छूटे हुए अन्य कारखानों को वर्गीकृत करने का युक्तियुक्त आधार था।

15. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपीलें असफल रहती हैं। तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है। तथापि, मामले की इन परिस्थितियों में, पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

---

[1] [1975] 2 उम० नि० प० 951=[1975] 3 एस० सी० आर० 220.

16. तारीख 25 जनवरी, 1975 की इन दोनों अधिसूचनाओं की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देने वाले वे सभी मामले जो इस न्यायालय में लंबित हैं, इस निर्णय के निबन्धनों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

अपीलें खारिज की गईं।

मदन/श्री०